

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 31-28/पी3-14/ग्र.आर.आर.टी.ए./15 दि. 13/12/2015 उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट कुनेथ (CC 644600, H120, Pop.471) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनाएँ भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **0.275** है०, सिविल सोयम भूमि **0.324** है० एवं आरक्षित वन भूमि **4.351** है०, एवं मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि **0.293** तथा मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि **0.420** है प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं०1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 5.500 कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि 4.351 एवं सिविल सोयम वन भूमि 0.617 है० प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

Hydrach
कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिंचाई खण्ड, बैजौरौ पौडी गढवाल

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई बैजराँ
सिंचाई खण्ड, बैजरौ पौडी गढवाल

अधिशायसी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई
सिंचाई खण्ड, बेजरी पौडी गढवाल